सभी को मिलेगा बराबर मौका, नियमों व मर्यादाओं से चलेगा सदन : देवनानी

विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष का लंच ब्रेक का सुझाव, सभी दलों की सहमति

जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के द्वितिय सत्र की बैठकें बुधवार से आरम्भ होंगी। इससे पहले मंगलवार को विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। देवनानी की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। देवनानी ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है।

इस दौरान कई सुझाव आए उनमें से बैठक में सदन में पहले से चल रही पर्ची पर बोलने की व्यवस्था को फिर से लागू किये जाने। समितियों की रिपोर्ट पर बहस कराये जाने, महत्वपूर्ण मुद्दों को शून्यकाल से पहले अध्यक्ष के ध्यान में लाने और अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किये जाने के सुझाव भी आये।

देवनानी ने कहा कि सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आये जनप्रतिनिधिगण अपने आचरण और व्यवहार को जन आकांक्षाओं के अनुकूल प्रस्तुत करें, ताकि विधान सभा का नाम रोशन हो सके। देवनानी ने कहा है कि विधान सभा सदन नियमों व मर्यादाओं से चलेगा। उन्होंने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने और सार्थक बहस में अपनी बात समय सीमा में रखने के लिए कहा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

विधानसभा के सत्र की बैठक से पहले मंगलवार को अधक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

विधान सभा का सदन अधिक से अधिक दिन चले इसके लिए सभी दलों के सभी सदस्यों को सकारात्मक सोच रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सोलहवीं विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की है।

देवनानी ने बैठक में मध्यान्ह भोजन अन्तराल के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक सभा की तर्ज पर विधान सभा में भी भोजन अन्तराल का निश्चित समय तय किया जा सकता है। इससे एक ही समय पर सभी विधायक भोजन कर सकेंगे और उसके बाद पुन: सदन में सभी सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। देवनानी के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद सभी दल के प्रतिनिधियों ने इसे अच्छी पहल बताते हुए सहमति व्यक्त की। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि प्रथम सत्र के 2054 प्रश्नों में से 92 प्रतिशत प्रश्नों के जवाब विधान सभा को प्राप्त हो गये है। अब 177 प्रश्नों के जवाब आना शेष है। देवनानी ने कहा कि यह शुभ लक्षण है। शेष रहे प्रश्नों के जवाब भी विधान सभा को शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद है। बैठक में तय किया गया कि नया सत्र आरम्भ होने से पहले गत सत्र के सभी प्रश्नों के जवाब विधान सभा को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए।

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जायेगा। समय सीमा में ही सदस्य अधिक से अधिक अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि यह दलों के नेताओं कि जिम्मेदारी होगी कि उनके दल का सदस्य सदन में अपनी बात को आवंटित समय में ही रखने का प्रयास करे। देवनानी ने कहा कि सभी सदस्यगण शालीनता से मुद्दे उठाये। देवनानी ने कहा कि यह सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। इस स्थल की गरिमा को बनाएँ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। इसके लिए यदि सदन को देर तक चलाने की आवश्यकता होगी तो सदन को देर तक चलाया जायेगा। उन्होनें कहा कि समस्याओं का हल बातचीत से होता है। सदन में समस्याओं के निस्तारण का प्रयास होगा। यहां पर सदस्यों की बातों को गम्भीरता से लिया जायेगा। उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण भी कराया जायेगा।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आश्वस्त किया कि प्रतिपक्ष सदन संचालन में सहयोग करेगा। प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में मर्यादापूर्ण व्यवहार से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सदन में रखी गयी बातों को सरकार गंभीरता से ले। सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भी है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधान सभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह ऐतिहासिक पहल है। सदन संचालन में इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। उन्होनें बैठक में उपस्थित होने वाले पक्ष व प्रतिपक्ष के नेता का आभार ज्ञापित किया।

बैठक में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग भी मौजूद थे।

राहुल गांधी और कांग्रेस का चरित्र हिंदु विरोधी : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदु धर्म और हिंदुओं पर की गई घृणास्पद टिप्पणी पर पलटवार किया। इस दौरान मंच पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के बहुसंख्यक हिंदु समाज को हिंसक, असत्यवादी और नफरती कहकर 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और लगातार तीसरी बार भी उनकी लॉंचिंग फेल रही। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का पहला भाषण ही झूठ निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ था। अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी ने अभिभाषण पर एक शब्द तक नहीं बोला, चर्चा के दौरान उन्होने केवल और केवल झूठ ही बोला। राहुल ने अपने भाषण में हिंदुओं का घोर अपमान किया और हिंदु समाज को नफरती, हिंसक और झूठा बताया जो कि पूरी तरह निंदनीय और दयनीय है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि तुष्टिकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। कांग्रेस के

- **'हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरती कहकर एक समुदाय विशेष को खुश करना चाह रहे राहुल गांधी'**
- **'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं है सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी'**

नेता सदैव हिंदु समाज के खिलाफ बोलेते रहे हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने और वर्ष 2013 में तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताया जिसके बाद उन्हे माफी मांगनी पड़ी थी। संसद में बार बार ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि हिंदु कौन है? हिंदु वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला और सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया की कामना करने वाला होता है। जीव प्रकृति जड़ चेतन में ब्रहम का साक्षात्कार करने वाला धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदभाव हो, विश्व का कल्याण हो ऐसे मंत्र को जीने वाला हिंदु प्राण मात्र में ईश्वर का वास देखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे जिसे वे तो महज पांच-सात साल से ही देखने लगे हैं। जबकि हिंदु परिवार में जन्मा बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवान शिव की तस्वीर को अपने सीने में बसाकर रखता है, इसलिए किसी भी हिंदु को उनसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने तो सांसद पद की शपथ तक बिना ईश्वर के ली थी, अपनी ओछी राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिये हिंदुओं को गाली देना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी के अग्निवीर योजना पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कहकर राहुल गांधी ने अग्निवीर सैनिकों का अपमान किया है। संसद में अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के झूठ की पोल खोलते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर शहीद के परिजनों को एक करोड़ रूपये की राशि दी जाती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो बन गये, लेकिन उन्हे सदन की परंपरा और नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होने लोकसभा अध्यक्ष पर भी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की जो कि लोकतंत्र में बेहद गलत और दु:खद है। राहुल ने किसानों और अयोध्या पर भी झूठ बोला इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है।

'गौ तस्करी में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार किया जाए'

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह गौ तस्करी के मामले में जब्त वाहनों को लंबे समय तक नहीं छोड़ने पर पुनर्विचार करे। इन वाहनों को छोड़ने के बदले कलक्टर पूरी राशि जमा शर्त रखते हैं। अदालत ने कहा कि इन वाहनों को लंबे समय तक थाने में रखने से न केवल वाहन मालिक को नुकसान होता है, प्रदेश को राजस्व की हानि भी होती है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर व अन्य की चार याचिकाओं पर दिए।

अदालत ने गौ तस्करी कानून के तहत कलक्टर को सुनवाई के लिए सक्षम माना, लेकिन ऐसे वाहनों को लंबे समय तक जब्त रहने से राजस्व को होने वाले नुकसान के आधार पर राज्य सरकार से कानून पर पुनर्विचार करने को कहा है। याचिकाओं में भरतपुर, झालावाड़ और ब्यावर में कलक्टरों के गौ तस्करी में जब्त वाहनों को नहीं छोड़ने को चुनौती दी थी। कलक्टरों ने राजस्थान दुधारू पशु अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का हवाला देकर वाहन मालिकों के वाहन की कीमत जमा कराने पर ही वाहन छोड़ने की शर्त लगा दी थी। याचिकाओं में कहा गया कि वन अधिनियम में भी वाहन जब्त करने का प्रावधान है, लेकिन वन अधिकारी की अपील पर किए गए निर्णय को रिवीजन के जरिए न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान है।

सोने की शुद्धता और मानकों की जानकारी के लिए चलेगा अभियान

जयपुर, (का.सं.)। सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता-मानकों में गड़बड़ी की सूचना/शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले विभाग को समन्वय के साथ काम करते हुए राज्य व्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता मामले मंत्री गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ होने के कारण सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों से यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट-सोशियल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

गोदारा के निर्देशों के पश्चात उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा कार्य योजना बनायी जा रही है। इसी क्रम में दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 9 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत तथा भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक, कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से

हॉलमार्क लागू कर दिया है। इससे हॉलमार्क किये हुए आभूषण ही जेवरातियों द्वारा बेचे जा सकते हैं। हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देता है। प्रमुख शासन सचिव, भास्कर ए सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉलमार्किंग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और केरेट के साथ 6 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचे।

भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक, कालिया ने बताया कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोने की शुद्धता की जांच किये जाने हेतु राज्य में 92 हॉलमार्किंग सेन्टर है। प्रमुख शासन सचिव, भास्कर ए सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर पंजीकृत करायी जा सकती है।

फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट देने वाले आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- एक, महानगर द्वितीय ने विदेशी महिला को हीरे के स्थान पर सस्ता पत्थर बेचने से जुड़े मामले में फर्जी लैब रिपोर्ट देने वाले आरोपी नंदकिशोर वाल्मीकि की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने बिना नापतोल और बिना उचित मशीनों से जांच के बिना फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की। जिसके चलते विदेशी महिला को करीब 4.50 करोड रुपए की हानि हुई है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रार्थी को मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो डायमंड को जांचा गया था, वह सही था और प्रार्थी ने उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की थी। ऐसे में उसे जमानत पर यह किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है।

'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने "डी-बार" कंपनी को क्यों दिया टैंडर?'

राजस्थान हाईकोर्ट ने "कन्वेयर बेल्ट" खरीद की टैंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा विभिन्न पावर प्लांट्स में उपयोग के लिए "कन्वेयर बेल्ट" की खरीद के टैंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। विभाग ने इस टैंडर में एन.आर.सी. इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. के पक्ष में 10 जून 2024 को "लेटर ऑफ इंटेंट" जारी किया था। जिसके खिलाफ निविदा में भाग लेने वाली एक अन्य कंपनी सोमी कन्वेयर्स बेल्टिंग्स लि. ने अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने सुनवाई के बाद टैंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई।

इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ ने अधिवक्ता सुशील डागा, अनुराग कलावटिया और उनकी सहायक वकील पारूल सिंघल पैरवी के लिए पेश हुए थे।

मामले के तथ्यों के अनुसार, इस निविदा में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि, जो फर्म इस टैंडर में भाग लेगी, वह पिछले 3 वित्तीय वर्ष से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एन.टी.पी.सी) से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही पिछले 7 वर्षों से लगातार किसी सरकारी कंपनी अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रर्ड कंपनी को "कन्वेयर बेल्ट" बेचने वाली होनी चाहिए।

- **मामले के तथ्यों के अनुसार, इस निविदा में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि, जो फर्म इस टैंडर में भाग लेगी, वह पिछले 3 वित्तीय वर्ष से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए थी। साथ ही पिछले 7 वर्षों से लगातार किसी सरकारी कंपनी अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रर्ड कंपनी को "कन्वेयर बेल्ट" बेचने वाली होनी चाहिए।**
- **याचिकाकर्ता कंपनी सोमी कन्वेयर्स बेल्टिंग्स लि. ने अदालत को बताया कि, निविदा में शामिल हुई एन.आर.सी. इंडस्ट्रीज़ के दस्तावेजों में साफ जाहिर है कि एन.टी.पी.सी. ने इस कंपनी को 3 वर्ष के लिए "डी-बार" कर रखा है। इसके बावजूद विद्युत उत्पादन निगम ने कंपनी के पक्ष में "लेटर ऑफ इंटेंट" जारी कर दिया**

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि, निविदा में एन.आर.सी. इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. के दस्तावेजों में साफ जाहिर है कि एन.टी.पी.सी. ने इस कंपनी को 3 वर्ष के लिए "डी-बार" कर रखा है। यानि कि यह कंपनी टैंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती।

इसके बावजूद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक ने इस कंपनी पर मेहरबानी दिखाते हुए इसके पक्ष में "लेटर ऑफ इंटेंट" जारी कर दिया। अदालत ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 5 सप्ताह बाद इस प्रकरण की सुनवाई तय की है। हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी भेजी जायेगी।

पडौसी ने किया बच्चे से कुकर्म

जयपुर। रामगंज थाना इलाके में पडौसी युवक द्वारा काम के बहाने बुलाकर नाबालिग लड़के से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस को पीडित के पिता ने बताया कि 14 साल के बेटे को करीब 3 महीने पहले पडोसी ने काम के बहाने अपने घर बुलाया था। पडोसी ने डरा-धमकाकर बेटे के साथ कुकर्म किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। उसके बाद लगातार काम के बहाने अपने घर बुलाने लगा और गलत काम करता रहा। बेटे को तनाव में देखकर उससे दबाव डालकर कारण पूछा, तब बेटे ने आपबीती आपबीती सुनाई। आरोपी पडोसी की करतूत का पता चलने पर रामगंज थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वृद्धा के गले से चेन तोड़ी

जयपुर । गोविंद देव मंदिर परिसर में झांकी के दर्शन करने आई 60 साल की बुजुर्ग महिला की बदमाश सोने की चेन तोड़ ले गए। माणकचौक थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना 27 जून सुबह करीब 11 से 11:30 बजे की है। मंदिर में झांकी के दर्शन कर जब वृद्धा बाहर आई तो गले में चैन नहीं थी।

भाजपा विधायक दल की बैठक में एकजुट रहने की रणनीति बनी

जयपुर। विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हाऊस में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी।

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायको को सदन में एकजुट रहने, विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देने, विधायको को तैयारी के साथ सदन में आने, सरकार की अब तक की उपलब्धियों पर अपडेट रहने, मंत्रियों के जवाब के वक्त सदन में उनका साथ देने, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने और विधानसभा में फिर से शुरू हुई पर्ची से मुद्दे उठाने की व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सत्र के दौरान हां पक्ष लॉबी में हर मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित करने का भी फैसला किया गया है। विधायक दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और एनडीए की सरकार आने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने

- **बैठक में कई मुद्दों पर बनीं सहमति**

सभी विधायकों, मंत्रियों को मुख्यमंत्री हाऊस में डिनर भी दिया। बैठक में भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे विनय सहस्त्रबुद्धे, सहप्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहीं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान हो

जयपुर । राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से मंगलवार को कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान निगम स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि महिला कार्मिक इस अधिनियम के तहत किस तरह लैंगिक उत्पीड़न को लेकर कानूनी प्रावधानों के तहत अपना बचाव एवं कार्रवाई कर सकती हैं।

आदर्श नगर में "तीन तलाक" का मामला

जयपुर । आदर्श नगर इलाके में पीहर आए पति के द्वारा पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। रिक्शा में बैठाकर आरोपी पति महिला को उसके घर लेकर आया। परिजनों के सामने तीन तलाक बोलकर छोड़ भागा। आदर्श नगर थाने में पीड़िता ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई।

पुलिस ने बताया कि घाटगेट निवासी 24 साल की महिला ने तीन तलाक का मामला दर्ज करवाया है। करीब सालभर पहले उसका निकाह जयसिंहपुरा खोर निवासी युवक से हुआ था। आरोप है कि निकाह होने के बाद से ही आरोपी पति उसके साथ गाली-गलौच करता था। उसके विरोध करने पर आरोपी पति मारपीट भी करता था। गत 30 जून को दोपहर आरोपी पति रिक्शे में बैठाकर अपनी पत्नी को उसके पीहर लेकर आया। घर आने पर परिजनों से मिलने-जुलने के दौरान ही आरोपी पति ने तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोला। परिजनों के सामने तीन तलाक देकर आरोपी पति घर पर पत्नी को छोड़कर भाग निकला।

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने मृत छात्र के परिजनों को 12 लाख रु.सौंपे

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत 19 वर्षीय छात्र चिन्मय गौड पुत्र संजय शर्मा, निवासी ब्रह्मपुरी की जवाहर सर्किल पर राजस्थान रोडवेज की बस से दुर्घटना होने पर मौत हो गई थी। कॉमर्स कॉलेज का यह छात्र अपनी बाइक पर सवार था, अचानक असावधानी के चलते सवाई माधोपुर डिपो की बस ने उसे पीछे से टक्कर मारी, जिससे छात्र चिन्मय गंभीर रूप से घायल हो गया था, बाद में जयपुरिया हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने मंगलवार को छात्र के पिता संजय शर्मा को इस दुखद हादसे पर सांत्वना देते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से 12 लाख रुपए की सहायता राशि का चैक प्रदान किया। इस अवसर पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो.रामावतार शर्मा, चीफ प्रॉक्टर प्रो.आर.एन.शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी डॉ.भूपेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मृत छात्र के मनोनीत परिजन को यह सहायता राजस्थान विश्वविद्यालय में देश में पहली बार लागू की गई छात्र दुर्घटना सहायता योजना के तहत प्रदान की गई है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र के दुर्घटना में घायल हो कर किसी चिकित्सालय में 24 घंटे की अवधि तक चिकित्सा लेने पर एक लाख रुपए की सहायता और मृत्यु होने की स्थिति में छात्र के मनोनीत परिजन को 12 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने का इस वर्ष प्रावधान है।

स्मार्टफोन का आई.एम.ई.आई. नंबर बदलने वाली शातिर गैंग पकड़ी

आरोपी रायसर प्लाजा में दुकान चलाते थे; गैंग उन फोन के नंबर को क्रेक करती, जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते थे

जयपुर (कासं)। राजधानी की कोतवाली थाना पुलिस ने स्मार्ट फोन के लॉक तोड़ने के साथ उनके आईईएमआई नंबर को बदलने वाली गैंग के चार सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस की प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित उन फोन के नंबर को क्रेक करते थे, जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते थे। पुलिस जानकारी में सामने आया कि यह लोग कबाड़ और एक्सचेंज वाले फोन से ये सारा डाटा चुराते थे।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने रायसर प्लाजा में कार्रवाई करते स्मार्ट फोन के लॉक तोड़ने के साथ उनके आईईएमआई नंबर को बदलने वाली गैंग के अतुल गुप्ता (36) निवासी सूर्यनगर गोपालपुरा महेश नगर, लोकेश गर्ग उर्फ लालू (30) निवासी महावीर कॉलोनी विस्तार करतारपुरा महेश नगर हाल मांग्यावास मानसरोवर, गौतम सैनी उर्फ

गोलू (38) निवासी रविन्द्र नगर जगतपुरा प्रतापनगर और महेश मुरजानी (53) निवासी सेक्टर-16 प्रताप नगर को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपित रायसर प्लाजा में दुकान चलाते थे और इन लोगों ने आस-पास ग्रामीण इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से कम्प्यूटर, डेस्कटाप, लॉक तोड़ने और आईईएमआई नंबर क्रेक करने का सॉफ्टवेयर डिवाइस और 250 से ज्यादा मोबाइल जब्त किए है। पुलिस को आरोपितों के कब्जे से करीब 100 से अधिक बदले गए मोबाइल के आईईएमआई नंबर का रिकॉर्ड ट्रेस आउट भी मिले है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि जो ग्राहक किस्त पर फोन लेते है और समय पर वे उसे चुका नहीं पाते हैं तो उनका फोन लॉक हो जाता है।